न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 01 सन 2020

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र सागर जाति माली साकिन चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर
2. जगदीश पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर
3. भंवरलाल पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता सायल
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 30/09/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि चन्दूराम सागरमल पि0 श्योदान जाति माली निवासी नोहर दोनो सगे भाई थे तथा उन दोनो के पास कस्बा नोहर में 83.03 बीधा खाम भूमि थी उक्त भूमि भाखडा नहर आने पर एकीकरण में 48.04 बीधा पुख्ता में परिर्वतन हो गयी तथा उक्त भूमि में से नेठराना नहर निकल जाने पर उसमें 8.12 बीधा भूमि आ गई तथ चन्दू व सागर दोनो भाईयों के पास चक 22 एनटीआर में 5.099हैक यानी 20.03 बीधा तथा चक 23 एनटीआर में 4.908हैक भूमि यानी 19.08 बीधा भूमि बची कुल 39.11 बीधा मं दोनो का प्रत्येक का 19–15–1/2 हिस्सा भूमि मिली तथा सागर सायल व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता ने अपने उपरोक्त भूमि 19–15–1/2 बीधा में से 5.00 बीधा भूमि चक 23 एनटीआर की एक नारायणीदेवी थिरानी को फरोख्त कर दी तथा नन्दितादेवी थिरानी ने दिनांक 15.09.1988 को अपने कब्जा के मुताबिक कमलेश प्रतिवादी संख्या 6 को फरोख्त कर दी तथा चन्दू पुत्र श्योदान ने अपनी उपरोक्त भूमि 19–15–1/2 बीधा में से दिनांक 20.05.1960 को 7.03 बीधा भूमि सागरमल सायल व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता को फरोख्त कर दी तथा उक्त 7.03 बीधा में से 4 बीधा 23 एनटीआर व 3.03 बीधा 22 एनटीआर की चन्दू ने अपने भाई सागर को फरोख्त कर दी तथा उक्त बेची समस्त भूमि का कब्जा चन्दु ने अपने भाई सागर को मुताबिक बफवारा चक 23 एनटीआर में दिया तथा खदी के वक्त से उक्त भूमि का कब्जा पहले सागरमल अब उनके लडके सायल व प्रतिवादी संख्या 4 का चला आ रहा हे तथा चक 23 एनटीआर मुताबिक बटवारा चन्दुराम ने अपाने पास कोई भूमि नही रखी तथा इसप्रकार चक 23 एनटीआर में सायल व प्रतिवादी संख्या 4 दोनो बहिस्सा बराबर 11.18 बीधा तथा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 2.10 बीधा का तथा प्रतिवादीया अकेली 5 बीधा की खातेदार काश्तकार हुई तथा चक 22 एनटीआर में 20.03 बीधा यानी 5.099हैक में मुताबिक बटवारा गैरसायलान सख्या 1 ता 3 तीनों बहिब बराबर 4.062हैक यानी 16.01 बीधा तथा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.037हैक यानी 4.02 बीधा का खातेदार काश्तकार हुए तथा सायल व प्रतिवादी संख्या 4 दोनो उक्त चक में मुताबिक बटवारा कोई हक हिस्सा नही है बाहमी बटवारा का विवरण वाद की मद संख्या 5 में अकित है।

वादभूमि रोही मौजा चक 23 एनटीआर खाता संख्या 123/123 कुल तादादी 4.908हैक यानी 19.08 बीधा जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित है इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि रोही मौजा 22 एनटीआर खाता संख्या 118/113 की कुल 5.099 हैक जिसका पूरा विवरण वाद की मद संख्या 5 में दर्ज तथा उक्त दोनो चको की भूमि का आज से 60–65 साल पहले सायल व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के वक्त यानी चन्दुराम व सागरमल ने आपस में बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार कब्जा काश्त में है तथा चन्दुराम व सागरमल दोनो भाईयों ने उक्त बटवारा के अनुसार काश्त करते आये तथा कालान्तर में कोई उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान किया तो बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

का कब्जा दिया गया था मुताबिक बटवारा व कब्जा रोही मौजा चक 23 एनटीआर सायल व प्रतिवादी संख्या 4 दोनेा बहिस्सा बराबर वाद की मद संख्या 6 में अकित अनुसार है।

चक 23 एनटीआर व चक 22 एनटीआर दोनेा चुको की जमाबन्दीयों का इन्द्राज गलत दर्ज होने से सायल व प्रतिवादीगण संख्या 4 तथा गैरसायल न0 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 5 की हिस्सा कस्सी सही दर्ज नही होने के कारण सायल के खातेदारी हकुक का हनन होता है जबकि वादग्रस्त भूमि का सायल व गैरसायल 1 ता 3 व दावा में प्रतिवादी संख्या 4 के पूर्वजों चन्दुराम व सागरमल के समय से ही मुताबिक बटवारा के काब्जा काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बटवारा व कब्जा सायल अपने आपकों गैरसायल नम्बर 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज भूमि की मद संख्या 6 में दर्जानुसार अलग अलग मुताबिक बटवारा व कब्जा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरसायल नम्बर 1 ता 3 के हक से ज्यादा दर्ज है जिससे गैरसायल न0 1 ता 3 उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि अन्य को फरोख्त करने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की स्थिति परिर्वतन करने की योजना बना रहे है जिससे गैरसायल का उक्त मकसद पूर्ण हाने से सायल को अपूर्णीय क्षति होती है।

इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 123/123 की कुल 4.908हैक व रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 118/115 की कुल 5.099हैक भूमि की को कोई भाग किसी अन्य को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

वाद भूमि का पूर्व में कभी भी बाहमी बटवारा नही हुआ है प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मनगंढत अंकित किये गये है। वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना में दर्ज भूमि का एक वाद इन्ही फरीकेन के मध्य इसी अदालत में कमलेश बनाम नन्दलाल आदि वाद संख्या 81 सन 2004 प्रस्तुत हुआ था जिसमें दिनांक 20.07.2007 को निर्णय किया गया वाद खाता विभाजन एवं ईश्तकरार हक का था इस निर्णय के पश्चात सायल ओमप्रकाश ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें दिनांक 26.08.2021 को निर्णय पारित किया जाकर इसी के साथ अपील संख्या 91 सन 2007 बालचन्द बनाम कमलेश को शामिल करते हुए निर्णय पारित किया गया व अपीलाधीन आदेश बहाल रखा गया तत्पश्चात राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दो अपील पेश की गई प्रथम सायल ओमप्रकाश व नन्दलाल ने अनवानी नन्दलाल बनाम कमलेश व द्वितीय बालचन्द बनाम कमलेश पेश हुई प्रथम अपील जरिये राजीनामा नन्दलाल , ओमप्रकाश दिनांक 15.05.2017 को खारीज करवाली तथा दितीय अपील दिनांक 11.08.2021 को खारिज की जाकर इस न्यायालय का निर्णय बहाल रखा गया इसलिये वर्तमान में वाद व प्रार्थना पत्र नही चल सकते खारीज योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इन्ही पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया की चन्दूराम सागरमल पि0 श्योदान जाति माली निवासी नोहर दोनो सगे भाई थे तथा उन दोनो के पास कस्बा नोहर में 83.03 बीधा खाम भूमि थी उक्त भूमि भाखडा नहर आने पर एकीकरण में 48.04 बीधा पुख्ता में परिर्वतन हो गयी तथा उक्त भूमि में से नेठराना नहर निकल जाने पर उसमें 8.12 बीधा भूमि आ गई तथ चन्दू व सागर दोनो भाईयों के पास चक 22 एनटीआर में 5.099हैक यानी 20.03 बीधा तथा चक 23 एनटीआर में 4.908हैक भूमि यानी 19.08 बीधा भूमि बची कुल 39.11 बीधा मं दोनो का प्रत्येक का 19–15–1/2 हिस्सा भूमि मिली तथा सागर सायल व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता ने अपने उपरोक्त भूमि 19–15–1/2 बीधा में से 5.00 बीधा भूमि चक 23 एनटीआर की एक नारायणीदेवी थिरानी को फरोख्त कर दी तथा नन्दितादेवी थिरानी ने दिनांक 15.09.1988 को अपने कब्जा के मुताबिक कमलेश प्रतिवादी संख्या 6 को फरोख्त कर दी तथा चन्दू पुत्र श्योदान ने अपनी उपरोक्त भूमि 19–15–1/2 बीधा में से दिनांक 20.05.1960 को

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

7.03 बीधा भूमि सागरमल सायल व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता को फरोख्त कर दी तथा उक्त 7.03 बीधा में से 4 बीधा 23 एनटीआर व 3.03 बीधा 22 एनटीआर की चन्दू ने अपने भाई सागर को फरोख्त कर दी तथा उक्त बेची समस्त भूमि का कब्जा चन्दु ने अपने भाई सागर को मुताबिक बफवारा चक 23 एनटीआर में दिया तथा खदी के वक्त से उक्त भूमि का कब्जा पहले सागरमल अब उनके लडके सायल व प्रतिवादी संख्या 4 का चला आ रहा हे तथा चक 23 एनटीआर मुताबिक बटवारा चन्दुराम ने अपाने पास कोई भूमि नही रखी तथा इसप्रकार चक 23 एनटीआर में सायल व प्रतिवादी संख्या 4 दोनो बहिस्सा बराबर 11.18 बीधा तथा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 2.10 बीधा का तथा प्रतिवादीया अकेली 5 बीधा की खातेदार काश्तकार हुई तथा चक 22 एनटीआर में 20.03 बीधा यानी 5.099हैक में मुताबिक बटवारा गैरसायलान सख्या 1 ता 3 तीनों बहिब बराबर 4.062हैक यानी 16.01 बीधा तथा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.037हैक यानी 4.02 बीधा का खातेदार काश्तकार हुए तथा सायल व प्रतिवादी संख्या 4 दोनो उक्त चक में मुताबिक बटवारा कोई हक हिस्सा नही है बाहमी बटवारा का विवरण वाद की मद संख्या 5 में अकित है।

वादभूमि रोही मौजा चक 23 एनटीआर खाता संख्या 123/123 कुल तादादी 4.908हैक यानी 19.08 बीधा जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित है इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि रोही मौजा 22 एनटीआर खाता संख्या 118/113 की कुल 5.099 हैक जिसका पूरा विवरण वाद की मद संख्या 5 में दर्ज तथा उक्त दोनो चको की भूमि का आज से 60–65 साल पहले सायल व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के वक्त यानी चन्दुराम व सागरमल ने आपस में बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार कब्जा काश्त में है तथा चन्दुराम व सागरमल दोनो भाईयों ने उक्त बटवारा के अनुसार काश्त करते आये तथा कालान्तर में कोई उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान किया तो बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि का कब्जा दिया गया था मुताबिक बटवारा व कब्जा रोही मौजा चक 23 एनटीआर सायल व प्रतिवादी संख्या 4 दोनेा बहिस्सा बराबर वाद की मद संख्या 6 में अकित अनुसार है।

चक 23 एनटीआर व चक 22 एनटीआर दोनेा चुको की जमाबन्दीयों का इन्द्राज गलत दर्ज होने से सायल व प्रतिवादीगण संख्या 4 तथा गैरसायल न0 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 5 की हिस्सा कस्सी सही दर्ज नही होने के कारण सायल के खातेदारी हकुक का हनन होता है जबकि वादग्रस्त भूमि का सायल व गैरसायल 1 ता 3 व दावा में प्रतिवादी संख्या 4 के पूर्वजों चन्दुराम व सागरमल के समय से ही मुताबिक बटवारा के काब्जा काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बटवारा व कब्जा सायल अपने आपकों गैरसायल नम्बर 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज भूमि की मद संख्या 6 में दर्जानुसार अलग अलग मुताबिक बटवारा व कब्जा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरसायल नम्बर 1 ता 3 के हक से ज्यादा दर्ज है जिससे गैरसायल न0 1 ता 3 उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि अन्य को फरोख्त करने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की स्थिति परिर्वतन करने की योजना बना रहे है जिससे गैरसायल का उक्त मकसद पूर्ण हाने से सायल को अपूर्णीय क्षति होती है।

इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 123/123 की कुल 4.908हैक व रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 118/115 की कुल 5.099हैक भूमि की को कोई भाग किसी अन्य को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि का पूर्व में कभी भी बाहमी बटवारा नही हुआ है प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मनगंढत अंकित किये गये है। वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना में दर्ज भूमि का एक वाद इन्ही फरीकेन के मध्य इसी अदालत में कमलेश बनाम नन्दलाल आदि वाद संख्या 81 सन 2004 प्रस्तुत हुआ था जिसमें दिनांक 20.07.2007 को निर्णय किया गया वाद खाता विभाजन एवं ईश्तकरार हक का था इस निर्णय के पश्चात सायल ओमप्रकाश ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें दिनांक 26.08.2021 को निर्णय पारित किया जाकर इसी के साथ अपील संख्या 91 सन 2007 बालचन्द बनाम कमलेश को शामिल करते हुए निर्णय पारित किया गया व अपीलाधीन आदेश बहाल रखा गया तत्पश्चात राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दो अपील पेश की गई प्रथम सायल ओमप्रकाश व नन्दलाल ने अनवानी नन्दलाल बनाम कमलेश व द्वितीय बालचन्द बनाम कमलेश पेश हुई प्रथम अपील जरिये राजीनामा नन्दलाल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

, ओमप्रकाश दिनांक 15.05.2017 को खारिज करवा ली तथा दितीय अपील दिनांक 11.08.2021 को खारिज की जाकर इस न्यायालय का निर्णय बहाल रखा गया इसलिये वर्तमान में वाद व प्रार्थना पत्र नही चल सकते खारीज योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इन्ही पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हस्तगत वाद पर किसी प्रकार का प्रभाव है अथवा नही है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है सायल का कथन है कि वाद भूमि जो मुश्तरका खाते में है का बाहमी बटवारा उनके पूर्वजों के समय में हो चुका है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है अपने कथनों के समर्थन में सायल ने किसी प्रकार का पूर्व बटवारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है।

गैरसायल का कथन है कि वाद भूमि के सम्बध में इन्ही पक्षकारों के मध्य एवं इसी भूमि के सम्बध में इसी न्यायालय में वाद विचाराधीन था जिसका निर्णय दिनांक 20.7.2007 को किया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में किये जाने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनाक 26.08.2011 को निर्णय पारित किया गया जिसकी दो अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई जिसका निर्णय दिनांक 15.05.2017 ,11.08.2021 को किया गया है इसलिये वादभूमि के सम्बध में पूर्व में निर्णय किये जाने के कारण पूनः इसी न्यायालय में वाद /प्रार्थना पत्र नही चल सकते गैरसायल ने अपने कथनों के समर्थन में समस्त निर्णय की प्रतिया पेश की गई है।

गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सायल के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि एवं पक्षकारान के मध्य पूर्व में खाता विभाजन एवं इश्तकरार हक का वाद विचाराधीन रह चुका है सायल ने उक्त तथ्यों को न्यायालय से छूपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से पाया कि जब सायल ने प्रार्थना पत्र पेश किया था उस समय इसी भूमि के सम्बध में वाद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में विचाराधीन था

अर्थात सायल ने माननीय राजस्व मण्डल में वाद भूमि के सम्बध में वाद विचाराधीन रहने इस न्यायालय द्वारा वाद भूमि के सम्बध में निर्णय होने का तथ्य छुपाकर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है अर्थात सायल क्लीन हैण्ड से नही आया है।

वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में वाद भूमि के सम्बध में विचाराधीन प्रकरण निर्णय उपरान्त इस न्यायालय को प्राप्त हो चुका है माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.07.2007 को बहाल रखा गया है जिसमें आगामी कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है सायल अपना पक्ष /प्रार्थना पत्र उक्त प्रकरण में प्रस्तुत कर सकता है हस्तगत प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में साबित होने के कारण एवं सायल(तथ्यो को छुपाकर) क्लीन हैण्ड से इस न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 06.01.2020 को रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 123/123 की कुल 4.0908हैक एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 118/115 की कुल 5.099हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner